28

R. 5171-दो/16

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर, कैम्प रीवा, जिलारीवा

म०प्र०

सतगुरु कबीर संस्थान द्वारा अध्यक्ष, सनाथ दास, निवासी कबीर गुरुद्वारा फोर्ट रोड रीवा, तहसील हुजूर, जिलारीवा, म०प्र० ------ आवेदक

बनाम

शासन म०प्र० - ------ अनावेदक

आवेदक अभिभाषक श्री संतोष श्रीवास्तव एड. द्वारा पेश किया गया 6.4.16

6.4.16

पुनरीक्षण याचिका विरूद्ध आदेश कलेक्टर महोदय रीवा, आदेश दिनांक 23.2.2016 अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू राजस्व संहिता 1959 ई.।

मान्यवर,

प्रकरण के तथ्य

सदगुरु कबीर संस्थान गुरुद्वारा एक भवन सिन्धी चौराहा के पास आजाद मार्ग रीवा मे स्थित है, जो कि पूर्णत: भाड़े पर उठा हुआ है,

सदगुरु कबीर संस्थान गुरुद्वारा का मुख्य भवन जो कि फोर्ट रोड रीवा मे स्थित है, लगभग 200 वर्ष पुराना है, अतिसंकुचित स्थान पर है, जिसमे भक्तो एवं सन्तो को सत्संग व प्रवचन एवं पूजा-पाठ करने मे असुविधा होती है, बाहर से आये हुये सन्तो एवं भक्तो के ठहरने के लिये भी स्थान नही है, इसके अतिरिक्त भक्तो एवं सन्तो के वाहन खड़े होने के लिये कोई स्थान नही है, क्योंकि यह भवन बाजार मे स्थित है। एवं सामने फोर्ट रोड़ निकलती है, वह लगभग 20 फिट चौड़ी है, इन सब कारणो से संस्था के सभी कार्य करने मे अड़चन आती थी, व धार्मिक कार्य संपादित नही हो पाते थे।

इससे संस्था के प्रबंध कारिणी कमेटी एवं साधारण सदस्यो

सनाथदास

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 5171–दो/16 जिला –रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा' आदि के हस्ताक्षर
11 –01–18	आवेदक के अधिवक्ता श्री संतोष श्रीवास्तव उपस्थित। उनके द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला रीवा प्रकरण कमांक 15/बी–121/मूल/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 23.2.16 विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई। 2–प्रकरण का सरांश इस प्रकर है कि आवेदक द्वारा कलेक्टर रीवा के प्रकरण कमांक 03/बी–121/मूल/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 12.6.12 के विरूद्व राजस्व मण्डल में निगरानी प्रकरण कमांक 67–तीन/14 में पारित आदेश दिनांक 3.3.14 को आदेश पारित कर राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण कलेक्टर जिला को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया था कि प्रश्नाधीन भवन शासकीय है या निजी। प्रकरण में आवेदक को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये प्रकरण विधि अनुसार निराकरण किये जाने का आदेश दिया गया था। कलेक्टर रीवा द्वारा प्रकरण दायर कर 15/बी–121/मूल/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 23.2.16 के विरूद्व इस न्यायालय में पुनः प्रकरण दायर किया गया है। 3–प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा सुदगुरू कबीर संस्थान रीवा के उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, एवं सदस्यगण द्वारा प्रस्तुत	

आवेदन पर विचार किया गया। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि कलेक्टर रीवा के आदेशानुसार तहसीलदार नजूल ने आवेदक के आवेदन पत्र की जांच राजस्व निरीक्षक नजूल से कराई जाकर प्रस्तुत प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि नजूल खसरे में आवेदित भू–खण्ड 5750 रकवा 0.02 एकड़ 5751/2 सदगुरू कबीर संस्थान गुरूद्वारा फोर्ट रोड रीवा व प्रबंधक कलेक्टर रीवा दर्ज है। मौके पर किराये पर दुकाने कई किरायेदारों को दी गई है जिसका किराया कबीर संस्थान को प्राप्त हो रहा है। विकीत रकवा सिन्धी चौराहा से घोघर मार्ग को जाने वाले चौराहे के ठीक 5 फीट की दूरी पर स्थित है जो वेसकीमती भू–भाग है एवं व्यवसायिक दृष्टि से मंहगी दुकाने व भू–भाग है। संस्था का गुरूद्वारा करीब एक फलांग दूरी पर किला रोड पर ही इन दुकानो के आगे स्थित है जहां की भूमि/दुकाने विकी नहीं होगी। अर्थात प्रतिवेदन में उक्त प्रश्नाधीन भूमि विकी की अनुमति नहीं दिये जाने का कलेक्टर रीवा को प्रतिवेदित किया गया है। जिसके तारतम्य में कलेक्टर जिला रीवा द्वारा संस्था के हित में भूमि विकय की अनुमति नहीं दी है। कलेक्टर रीवा के पूर्व प्रकरण कमांक 03/बी–121/मूल/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 12.6.12 के विरूद्व राजस्व मण्डल में निगरानी प्रकरण कमांक 67–तीन/14 में पारित आदेश दिनांक 3.3.14 को आदेश पारित किया जा चुका था तो पुनः निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत करने का कोई औचित्य नहीं था।

4–उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 15/बी–121/मूल/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 23.2.

16 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य